न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08 / 2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1.श्री अम्बालाल पुत्र पोखर ओड़ निवासी ओड़ों का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1.श्रीमती सोहनी पत्नी श्री लादू लाल कलाल निवासी पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)
2.कान्ता पुत्री श्री लादू लाल कलाल निवासी पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)
3.कालू पुत्र श्री लादू लाल कलाल निवासी पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
4.दुर्गा पुत्री श्री लादू लाल कलाल निवासी पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
5.पारस पुत्री श्री लादू लाल कलाल निवासी पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)
6.बदाम पुत्री श्री कल्याण कलाल निवासी पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
7.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

..... **अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :::– श्री हरदयाल वर्मा ----- प्रार्थीगण अधिवक्ता अनु.
श्री दिनेश मण्डोवरा ----- अप्रार्थीगण अधिवक्ता उप0
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ

<u>निर्णय</u>

दिनांक 8/1/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) दिनांक 18.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधित्पय एवं कब्जे काश्त की सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 116 एक सौ सोलह में अराजी नम्बर 1270 रकबा 0.9863 हैक्टयर भूमि जो कि प्रार्थी एवं तेजमल ओड़ के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड है तेजमल ओड जो कि लाऔलाद फोत हो चुका है, जिसके वारीस प्रार्थी ही है। यह कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि भीलवाड़ा बैगू मैन रोड़ से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 की आराजी नम्बर 1264 में जो कि राजस्व नक्शे मे ----- से दर्शा रखा है, जिससे होकर सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1258 से होकर प्रार्थी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 1270 में आता जाता है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त सस्ते के अलावा प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। यह है कि प्रार्थी की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, पूर्व के खातेदारो द्वारा भी कभी भी उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा नही किया है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 द्वारा हाल ही में नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थी कीआराजियात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गया। जबकि

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 छह को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 को दिनांक 20 दिसम्बर 2022 दो हजार बाईस को रास्ते मे अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थी ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त आराजी सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे प्रार्थी की आराजी नम्बर 1270 में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि भीलवाड़ा बैगू मैन रोड से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 की आराजी नम्बर 1264 में जो कि राजस्व नक्शे मे – से दर्शा रखा है, जिससे होकर सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1258 से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे आते जाते है, को रास्ता से 2 ट्टा यानि साढे सौलह फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री दिनेश मण्डोवरा का पेश हुआ। न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थीगण की निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम होकर इसमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त भूमि का क्षय नही हो रहा है। पक्षकारान रास्ते की भूमि के ऐवज में सहमति से रास्ता देने हेतु सहमत नही हुये है। अप्रार्थी की उतरी मेड पर स्थित खातेदारी आ0न0 1261 का पूर्व में ही रास्तेनुमा होकर रास्ते हेतु उपयोग में आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गया रास्ता आ0 न0 1264 की दक्षिणी मेड पर ल0 गुणा चौ0 (165'5उ2) यानि रकबा 0.0831 है0 भूमि उपयोग में आयेगी जिसकी डीएलसी दर की दोगुनी राशि 66147/– रुपये बनती है एवं अप्रार्थी द्वारा जो रास्ता देने की सहमति बनी जिसमें आ0 न0 1261 रकबा 0.0759 है0 व आ0न0 1262 से ल0 गुणा चौ0 ($32*5m^2$) यानि 0.0160 है0 व आ0न0 1264 में से ($76*5m^2$) यानि 0.0379 है0 कुल रकबा 0.1298 है0 भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी डीएलसी दर की दोगुनी राशि 103320/–रूपये बनती तहसीलदार द्वारा मौजा पीपली पटवार मण्डल पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप जिला भीलवाडा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 के खातेदारी आराजी संख्या आ0 न0 1261 रकबा 0.0759 है0 व आ0न0 1262 से ल0 गुणा चौ0 ($32*5m^2$) यानि 0.0160 है0 व आ0न0 1264 में से ($76*5m^2$) यानि 0.0379 है0 कुल रकबा 0.1298 है0 भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

अतः प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की भावना को देखते हुए प्रार्थीगण को न्यूनतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है जिसके उपरान्त–

वकील प्रार्थी/अप्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।**
2. **प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।**
3. **प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा पीपली पटवार मण्डल पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप जिला भीलवाडा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 के खातेदारी आराजी संख्या 1264 की दक्षिणी मेड पर (लम्बाई*चौड़ाई) (165*5m^2) रकबा 0.0831 है0 भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा **पीपली पटवार मण्डल पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप जिला भीलवाडा** स्थित **अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 के खातेदारी आराजी संख्या आ0 न0 1264 की दक्षिणी मेड पर (लम्बाई*चौड़ाई) (165*5m^2) रकबा 0.0831 है0** भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 **(आराजी संख्या 1264 के वर्तमान खातेदार)** के पक्ष में तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0831 है0 मालियत राशि की **दो गुना राशि अथवा भूमि के बदले भूमि अदायगी कर दी** जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 8.1.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, RAS)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला, भीलवाडा